

प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति-2022 हुई जारी

चर्चा में क्यों?

17 सितंबर, 2022 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणजिय मंत्री शकुंतला रावत ने प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति-2022 जारी की। इससे न केवल प्रदेश में औद्योगिक विकास होगा, बल्कि शिल्पकार, दस्तकार और कारीगरों के रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

प्रमुख बंदि

- मंत्री शकुंतला रावत जयपुर में राजस्थान एमएसएमई दविस के मौके पर आयोजित उद्योग रत्न एवं नरियात पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रही थीं। वाणजिय मंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान की हस्तकलाओं पर तैयार की गई कॉफी टेबल बुक 'राजस्थानी कारीगरी' का वमिचन भी किया।
- इस अवसर पर प्रदेश में नरियात संवर्धन के प्रोत्साहन के लिये 29 नरियातकों को नरियात प्रोत्साहन अवार्ड्स और वभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिये 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न अवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया।
- इसके अलावा इन्वेस्ट राजस्थान समिति के लिये 29 उद्यमियों के साथ 14 हज़ार करोड़ रुपए के नविश एमओयू का भी आदान-प्रदान हुआ।
- उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति लागू होने से टेक्सटाइल, मेटल एंड वुड, कारपेट, दरी, नमदा, सेरेमिक एवं क्लेआर्ट, पेन्टिंग, लेदर क्राफ्ट, ज्वैलरी आदि के दस्तकारों को लाभ होगा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में 50 हज़ार से अधिक नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- उन्होंने कहा कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022 का उद्देश्य हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिये बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था, परंपरागत कलाओं एवं वल्लिप्त होती कलाओं को पुनर्जिवित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।